

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 22/2025 अपील

- श्रीमती रसाल देवी पुत्री रामपाल जाट पत्नी शांति लाल जाट निवासी बडेसरा हाल नाईयो का मौहल्ला, फुलिया गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा बनाम
1. कालू पुत्र श्री रामपाल जाट निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 2. कंकू पुत्री श्री रामपाल जाट निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 3. श्रीमती चन्ता पत्नी स्व० श्री रामपाल जाट निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा

—अपीलार्थी

—रेस्पोंडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी, अधिवक्ता – अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.03.2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार शाहपुरा के नामान्तरण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडेसरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

में आराजी नम्बर 183 रकबा 0.0300 हैक्टर, आराजी नम्बर 185 रकबा 0.13 हैक्टर, आराजी नम्बर 186 रकबा 0.19 हैक्टर, आराजी नम्बर 975 रकबा 0.03 हैक्टर अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 तीन एक ही परिवार के होकर रामपाल पुत्र श्री भूरा जाट के पुत्र, पुत्री व पत्नी होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है। अपीलार्थीया के पिता रामपाल जाट का देहान्त हो गया है, उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत से तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जरिये इंतकाल नम्बर 149 के जरिये अपील की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात का विरासत से नामान्तरणकरण अपीलार्थीया एवं अपीलार्थीया के भाई कालू, बहिन कंकू व माता चन्ता (प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03) के नाम पर खोला गया, लेकिन सेहवन से अपीलार्थीया का नाम रसाल देवी के बजाय फोरया दर्ज कर दिया गया, जबकि फोरया जो कि अपीलार्थीया का बोलता नाम है व अपीलार्थीया का नाम परिवार राशन कार्ड एवं आधार कार्ड, पासबुक आदि दस्तावेजात में रसाल देवी अंकित है। उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया गया, उस वक्त अपीलार्थीया को नहीं सुना गया व अपीलार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम रसाल देवी ही है, लेकिन अपीलार्थीया का परिवार व रिश्तेदारी में बोलता नाम फोरया होने से उक्त नामान्तरणकरण में रसाल देवी के जगह फोरया अंकित हो गया, जिसे अपीलार्थीया दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। अपीलार्थीया को उक्त गलत नाम इन्द्राज होने की जानकारी नहीं थी व हाल ही में दिनांक 01.09.2020 को अपीलार्थीया द्वारा जमाबदी की ऑनलाईन नकल प्राप्त की, जिस पर उक्त गलत नाम इन्द्राज होने की जानकारी हुई, जिस पर अपीलार्थीया ने नामान्तरणकरण की नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 02.09.2020 को पेश किया व नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थीया को जानकारी हुई कि अपील की चरण संख्या 01 एक में वर्णित में आराजियात में नामान्तरणकरण भरते व फैसल करते वक्त राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना अपीलार्थीया को सुने मनमकसूद तरीके से अपीलार्थीया का नाम रसाल देवी के बजाय फोरया दर्ज कर दिया, जो गलत है। उक्त गलत नाम इन्द्राज रहने से अपीलार्थीया के वैध हक अधिकारों का हनन हो रहा है। अपीलार्थीया को उक्त गलत नाम इन्द्राज होने की जानकारी नहीं थी व हाल ही में दिनांक 01.09.2020 को अपीलार्थीया द्वारा जमाबदी की ऑनलाईन नकल प्राप्त की, जिस पर उक्त गलत नाम इन्द्राज होने की जानकारी हुई, जिस पर अपीलार्थीया ने नामान्तरणकरण की नकल हेतु

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

आवेदनपत्र दिनांक 02.09.2020 को पेश किया व नकल दिनांक 09.2020 को प्राप्त हुई व नकल प्राप्त होते ही यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। वैसे भी आलोच्य आदेश को चैलेंज करने हेतु कोई मियाद नहीं है, फिर भी आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने व कानूनी उजर रफा करने हेतु धारा- 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 149 दिनांक 07.05.2005 में अपील की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में फोरया पुत्री श्री रामपाल जाट के बजाय रसाल देवी पत्नी श्री रामपाल जाट दुरुस्त कराया जाने व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम इन्द्राज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.02.2026 को विपक्षीगण स्वयं उपस्थित हो इकबाले जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 तीन एक ही परिवार के होकर रामपाल पुत्र श्री भूरा जाट के पुत्र, पुत्री व पत्नी होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है। अपीलार्थीया के पिता रामपाल जाट का देहान्त हो गया है, उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत से तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जरिये इंतकाल नम्बर 149 के जरिये अपील


अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात का विरासत से नामान्तरणकरण अपीलार्थीया एवं अपीलार्थीया के भाई कालू, बहिन कंकू व माता चन्ता (प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03) के नाम पर खोला गया, लेकिन सेहवन से अपीलार्थीया का नाम रसाल देवी के बजाय फोरया दर्ज कर दिया गया, जबकि फोरया जो कि अपीलार्थीया का बोलता नाम है व अपीलार्थीया का नाम परिवार राशन कार्ड एवं आधार कार्ड, पासबुक आदि दस्तावेजात में रसाल देवी अंकित है। उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया गया, उस वक्त अपीलार्थीया को नहीं सुना गया व अपीलार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम रसाल देवी ही है, लेकिन अपीलार्थीया का परिवार व रिश्तेदारी में बोलता नाम फोरया होने से उक्त नामान्तरणकरण में रसाल देवी के जगह फोरया अंकित हो गया, जिसे अपीलार्थीया दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 149 दिनांक 07.05.2005 में अपील की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में फोरया पुत्री श्री रामपाल जाट के बजाय रसाल देवी पत्नी श्री रामपाल जाट दुरुस्त कराया जाने व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम इन्द्राज कराया जाने का आदेश फरमावें।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रति, बैंक ऑफ बडौदा की बचत खाता की पास बुक की प्रति एवं राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्त का नाम रसाल देवी अंकित है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न मौका पर्चा में अंकित सजरा में भी अपीलार्थी का नाम रसाल देवी अंकित किया गया है। तथा फोरया और रसाल देवी अलग अलग नहीं होकर एक ही महिला होना बताया गया है। रेस्पोंडेन्टगण द्वारा भी अपने जवाब में रसाल देवी के बचपन का नाम फोरिया होने से सेहवन से गलती से दर्ज होना बताया रिकार्डेड वास्तविक नाम रसाल बताया गया है।


उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 149 दिनांकित 07.05.2005 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

प्रतीत होता है। उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य हैं।

आदेश

अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के नामान्तरकरण संख्या 149 दिनांकित 07.05.2005 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात के संबंध में समस्त दस्तावेजात का विधिसम्मत परीक्षण कर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अजसिरे निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।


(प्रकाश चन्द्र रैंगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
शाहपुरा